सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 335 दर्ज तिथिः—07.10.2022

1. हंसाराम पुत्र घमण्डसिंह
2. आसूसिंह पुत्र मूलसिंह
3. काना पुत्र घमण्डसिंह
4. घेवरसिंह पुत्र मूलसिंह
5. जगदीशसिंह पुत्र घमण्डसिंह
6. दीपसिंह पुत्र मूलसिंह
7. भैरसिंह पुत्र मूलसिंह
8. भंवरा पुत्र घमण्डसिंह
9. मसरा पुत्र घमण्डसिंह
10. मानसिंह पुत्र खीमसिंह नाबालिग की संरक्षक माता चूनीदेवी पत्नी खीमसिंह
11. वीरचंद उर्फ वीरसिंह पुत्र मूलसिंह
12. सांवलसिंह पुत्र खीमसिंह

    जाति रावणा राजपूत निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. राणसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी डांगरिया
2. धर्माराम पुत्र हड़मता
3. प्रहलादराम पुत्र हड़मताराम जाति कुम्हार निवासी पालियाली
4. आईदानराम पुत्र कालूराम
5. लछुराम पुत्र कालूराम
6. जोगाराम पुत्र नरींगाराम
7. बालका पुत्र नरींगाराम
8. हरचंद पुत्र नरींगाराम
9. सरदारा पुत्र नरींगाराम
10. समदों पत्नी नरींगाराम

    जाति राईका निवासी पालियाली
11. नवलाराम पुत्र पाबूराम जाति जाट निवासी पालियाली
12. दीपाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी डांगरिया
13. काकूदेवी पत्नी चमनाराम
14. खीमाराम पुत्र हीराराम फौत के कायम मुकाम

    14 / 1 पूनमाराम पुत्र खीमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

14/2 भावाराम पुत्र खीमाराम
14/3 ओखीदेवी पत्नी खीमाराम
15. गमनीदेवी पत्नी हेमाराम
16. गोमाराम पुत्र हेमाराम
17. चिमनाराम पुत्र हीराराम
18. दीपाराम पुत्र हेमाराम
19. पना पुत्र नरींगाराम
20. पनाराम पुत्र हीराराम
21. मदनलाल पुत्र चमनाराम
22. मफताराम पुत्र हेमाराम
23. राणछोड़ाराम पुत्र हीराराम
24. रूपाराम पुत्र हीराराम
25. वरजोंगाराम पुत्र नरींगाराम
26. वीरमाराम पुत्र चमनाराम
जाति कलबी निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादी
27. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी
28. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना
29. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री रामजीवन विश्नोई
श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 के पड़ौस में पूर्व सेढे पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं उत्तरी सेढे पर प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 की खातेदारी आराजी अवस्थित हैं। इसी प्रकार वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 के दक्षिणी सेढे पर प्रतिवादी संख्या 11 ता 23 की खातेदारी आराजी अवस्थित है। करीब 02 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 ने वादीगण के उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी सेढे की माठ तोड़कर वादीगण के खसरा संख्या 80 में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया एवं वादीगण के खसरा संख्या 319 के दक्षिणी सेढे पर प्रतिवादी संख्या 13 ता 26 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार का असफल प्रयास वादीगण की आराजी में जबरदस्ती कब्जा करने के उद्देश्य से किया गया।

2. वादीगण द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 153/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को दिनांक 16.11.2021 को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश की पालना में भू—अभिलेख निरीक्षक, पीपराली व हल्का पटवारी गांधव कला ने दिनांक 12.06.2022 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया। जिसमें वादीगण के खसरा संख्या 80 में संलग्न परिशिष्ट—ए के साथ बरंग लाल भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 द्वारा मौका फर्द दिनांक 12.06.2022 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया। जिस पर राजस्व कार्मिकों ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 ने कब्जा हटाने से मना कर दिया।

3. साथ ही वादीगण के खसरा संख्या 319 में संलग्न परिशिष्ट—बी के साथ बरंग लाल भाग पर प्रतिवादी संख्या 13 ता 26 द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 12.06.2022 में दर्शायी बरंग भाग पर एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—ए एवं बी में दर्शाई लाल रंग की आराजी पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

4. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 11, 14 ता 26 जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14—26 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। साथ ही कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 80 के पड़ोस में प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी पर वक्त जागीरकाल से निर्बाध रूप से कब्जा चल रहा है। इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त दावा म्याद बाहर पेश किया होने एवं प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर शांतिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद काबिल—ए—खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने प्रतिदावा में अभिकथन किया कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट—ए में प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का वक्त भू—प्रबंध से निर्बाध एवं शांतिपूर्वक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 अतिक्रमी नहीं होकर उक्त रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी में वादीगण को किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खसरा संख्या 319 के पड़ोस में प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 की आराजी अवस्थित है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 का वक्त सेटलमेंट से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 की उक्त आराजी के चारों ओर वर्षों पुरानी माठें बनी हुई हैं। वादीगण द्वारा अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाई हो तो इसका ज्ञान एवं सूचना प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 को नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 317 में कृषि कनेक्शन हेतु ग्रीन हाउस श्रेणी के लिये आवेदन किया। उसी कृषि विद्युत कनेक्शन को रूकवाने के उद्देश्य से वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद सारहीन एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया होने से काबिल—ए—खारिज है।

7. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव पेश करने के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गईः—

    1. आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा परिशिष्ट ए तथा परिशिष्ट बी में लाल रंग से दर्शित रकबे पर किये गए अवैध निर्माण व कब्जे को हटाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

        .....वादी

    2. आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा परिशिष्ट ए तथा परिशिष्ट बी में लाल रंग से दर्शित रकबे पर किये गए अवैध निर्माण व कब्जे को हटाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

        .....वादी

    3. आया वादी के परिशिष्ट ए तथा परिशिष्ट बी में लाल रंग से दर्शित रकबे पर प्रतिवादी संख्या 14—26 का कोई कब्जा नहीं होने तथा दोनों की आराजी के मध्य माठ बनी होने तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के बिजली के कनेक्शन को रोकने के आधार पर बेदखली का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

        .....प्रतिवादी संख्या 14—26

    4. आया वादी के परिशिष्ट ए में लाल रंग से दर्शित रकबे पर प्रतिवादी संख्या 1 का लगभग 70 वर्षों से शांतिपूर्वक कब्जा होने के आधार पर उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी आराजी घोषित की जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

        .....प्रतिवादी संख्या 01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

5. आया वादी के परिशिष्ट ए में लाल रंग से दर्शित रकबे पर प्रतिवादी संख्या 1 का लगभग 70 वर्षों से शांतिपूर्वक कब्जा होने के आधार पर उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी आराजी होने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....प्रतिवादी संख्या 1

6. अन्य दादरसी

.....उभय—पक्षकारान

8. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वंत
1.	खाता संख्या 08 जमाबंदी वाके ग्राम पालीयाली तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072—75 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
2.	राजस्व नक्शा खसरा संख्या 08 मौजा पालियाली	वर्तमान नक्शा
3.	राजस्व नक्शा खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली	वर्तमान नक्शा
4.	तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट	पत्रांक / भू.अ. / 22 / 1230 दिनांक 18.07.2022
5.	भू—अभिलेख निरीक्षक पीपराली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पत्र	—
6.	नेखमबंदी पालना मौका फर्द	दिनांक 12.06.2022
7.	नेखमबंदी पालना नक्शा	दिनांक 12.06.2022
8.	परिशिष्ट—ए	—
9.	परिशिष्ट—बी	—
10.	पुलिस थाना गुड़ामालानी में दर्ज शिकायत की प्रति	दिनांक 13.07.2022

9. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू.—1	वीरचंद उर्फ वीरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति रावणा राजपूत	पालियाली तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—2	रामलाल पुत्र पांचाराम जाति मेघवाल	पालियाली तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—3	हंसाराम पुत्र घमण्डसिंह जाति रावणा राजपूत	पालियाली तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—04	घेवरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति रावणा राजपूत	पालियाली तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में पी. डब्ल्यू.—1 वीरचंद उर्फ वीरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पालियाली द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह कहना सही है कि मैं पढ़ा लिखा 10 वी तक हूं। यह कहना सही है कि मेरे खेत के पड़ौस में प्रतिवादीगण का खेत आया हुआ है। यह कहना सही है कि राणसिंह का खेत भी मेरे खेत के पड़ौस में है। यह कहना भी सही है कि राणसिंह, जयसिंह का बेटा है। यह कहना गलत है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने खसरों में सेटलमेंट से बैठे हो। अर्ज खुद कहा कि राणसिंह के जमीन खरीदी हुई है। राणसिंह ने यह जमीन किस से खरीदी मुझे याद नहीं है। अर्ज खुद कहा कि किसी अंतरोदेवी पुत्री चतराराम जाति सुथार से खरीदी। अंतरोदेवी से किस वर्ष खरीदी मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि अंतरोदेवी से खरीदी जमीन की रजिस्ट्री में साथ नही गया। यह कहना सही है कि राणसिंह के खरीद बाबत कोई दस्तावेज मेरी पत्रावली में पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि अंतरोदेवी ने जो रकबा राणसिंह को बेचान किया था उसी रकबे पर राणसिंह का कब्जा काश्त है। यह कहना गलत है कि मैंने अपने खेत की नेखमबंदी करवाई तब मुझे जानकारी में आई कि मेरा खेत राणसिंह के नीचे दबा हुआ है। अर्ज खुद कहा कि हमारा विवाद पहले से चला आ रहा है। यह विवाद 5—7 साल पहले से चला आ रहा है। यह कहना सही है कि उस वक्त 5—7 साल पहले कोई दावा नही किया। यह कहना सही है कि मारपीट नहीं हुई है। अर्ज खुद कहा कि सेढ़े पर बोलचाल हुई है। यह कहना सही है कि बोलचाल हुई वक्त मैने सेढ़ा जलाया था तब बोलचाल हुई थी। यह कहना सही है कि राणसिंह ने सेढ़ा नही जलाया था। यह कहना गलत है कि नेखमबंदी के पत्थर नहीं गाढ़े हो। यह कहना गलत है कि नेखमबंदी की गई तब राणसिंह मौके पर हो। यह कहना सही है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आकर भू.अ.नि. मौके पर आए थे। यह कहना सही है कि नेखमबंदी तहसीलदार स्वयं द्वारा नहीं की गई। यह कहना सही है कि अतिक्रमण 2020 में किया । यह कहना सही है कि 2020 में मैंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। यह कहना गलत है कि मेरा खेत दो गावों की सरहद पर आया हुआ हो। यह कहना सही है कि वक्त पैमाईश जीपीएस एवं जरीब दोनो से की गई थी। यह कहना सही है कि जरीब से कोई मुस्तकल बिन्दु कायम करके जरीब चलाई हो। यह कहना सही है कि मेरा खेत दोनो सरहदों से दो—दो किलोमीटर की दूरी पर है। यह कहना सही है कि दो—दो किलोमीटर दूरी से भू.अ.नि जरीब चलाकर प्वाइंट नहीं लाए। यह कहना सही है कि राणसिंह मौके पर नही थे इसलिए फर्द पर हस्ताक्षर नही किए। यह कहना गलत है कि राणसिंह व उससे पूर्व खातेदार वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त जमीन पर सेढ़ा बनाकर काबिज थे लेकिन गलत नाप की आड़ में मैंने यह झूठा दावा न्यायालय में पेश किया हो।

11. प्रकरण में पी. डब्ल्यू.—2 रामलाल पुत्र पांचाराम जाति मेघवाल निवासी पालियाली द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह कहना सही है कि मेरे व वादी हंसाराम खेतों का आपस में सेढा नहीं लगता है। यह कहना सही है कि मेरी रहवासी ढाणी व इन खेतों की बीच दो सौ पाण्डा सेटी है। यह कहना सही कि मुझे आज वीरसिह बुलाकर लाया है। हम बस में आये है। अज खुद कहा कि हम बाईक पर आये है। यह कहना सही है कि शपथपत्र वकील डालूराम जी ने लिखा है। मैने इस पर हस्ताक्षर किए अर्ज खुद कहा कि मैने बोला और वकील साहब ने लिखा। यह कहना गलत है कि मुझे कम्प्युटर पर बैठकर डारेक्शन देकर लिखाने का अनुभव न हो। यह कहना सही है कि शपथ पत्र मैंने तीन पैरो में लिखवाया है। मेरी उम्र 46 वर्ष है। यह कहना सही है कि आज से 30 वर्ष पहले की बात याद नही है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन राणसिंह व वीरसिंह की पुश्तैनी जमीन है। यह कहना गलत है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

सेटलमेंट में जैसे खेत हो वैसे ही काश्त करते हो। यह कहना सही है कि हमारे पड़ौस के खेतों में विवाद की स्थिति में मुझे बुलाते है। यह कहना गलत है कि मैं पंच, वार्ड पंच एवं सरपंच न हो। मैं मेरे खेत के खसरा संख्या याद है सभी की संख्या बता सकता हूं। यह कहना सही है कि मैं सभी पड़ोसियों के खसरा संख्या नही बता सकता। यह कहना सही है कि राणसिंह का खेत वादीगण के दक्षिण दिशा में आया हुआ है। यह कहना सही है कि नेखमबंदी करने तहसीलदारजी मौके पर नही आए थे। यह कहना सही है कि राणसिंह पर कोई मुकदमा दर्ज नही है। यह कहना सही है कि राणसिंह कभी मेरे से लड़े है और न किसी अन्य से लड़े है मात्र सेढ़े का विवाद है। यह कहना सही है कि पैमाईश जरीब से नही हुई थी जीपीएस से हुई थी। यह कहना सही है कि सेढ़े को वीरसिंह ने जलाया था। यह कहना गलत है कि राणसिंह से मेरे अदाबदी होने से एवं वीरसिंह से दोस्ती होने से यह झूठे बयान देने आज में यह झूठे बयान देने आया हूं।

12. प्रकरण में पी. डब्ल्यू.—3 हंसाराम पुत्र घमण्डसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पालियाली द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह कहना सही है कि इस मामले में मैं कोर्ट में कभी नही आया हूं। यह कहना सही है कि शपथपत्र वीरसिंह ने पेश किया है। यह कहना सही है कि शपथपत्र में वीरसिंह एवं वकील डालूराम ने क्या लिखा मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया।

13. प्रकरण में पी. डब्ल्यू.—4 घेवरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पालियाली द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह कहना सही है कि वादीगण मेरे सगे काकाई भाई है। हमारी जाति रावणा राजपूत है। यह कहना सही है कि राणसिंह जाति में राजपुत है। यह कहना सही है कि हमे राणा ने नही दी थी सेटलमेंट अधिकारियो ने दी थी। यह कहना गलत है कि राणसिंह को यह जमीन सेटलमेंट से प्राप्त हुई हो। अर्ज खुद कहा कि यह राणसिंह ने अंतरोदेवी से खरीद कर ली हो। यह कहना सही है कि नेखमबंदी से पहले कभी हमने पैमाईश नही करवाया था। यह कहना सही है कि पहले सेढे थे वैसे ही काश्त थी, अर्ज खुद कहा कि पांच सात पहले हमारे सेढ़े को लेकर विवाद हुआ था। यह कहना सही है कि हमारे सेढ़े पर बबूल के वृक्ष की कटाई को लेकर बोलचाल हुई थी। उस वक्त हमने कोई एफआईआर थाने में दर्ज नही करवाई। यह कहना सही है कि तहसीलदार जी नेखमबंदी करने नहीं आए थे। अर्ज खुद कहा की आर आई साहब आए थे। यह कहना सही है कि खेत के दोनो तरफ डेढ़—डेढ़ किलोमीटर काकड़ से पैमाईश लाए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तहसीलदार जी ने रिपोर्ट में क्या लिखा है। एक तरफ से डेढ़ किलोमीटर से पैमाईश लाए थे। यह कहना सही है कि पटवारी सांकल एवं जीपीएस लेकर नाप किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डेढ़ किलोमीटर से कितनी जरीब हुई थी। यह बात सही है कि मैंने जरीब का कोई सिरा नही पकड़ा था। यह कहना सही है कि सेढ़ा राणसिंह ने नहीं जलाया। यह कहना सही है कि मैं आज से पहले कोर्ट में चार बार आया था। यह बात सही है कि शपथ पत्र मैंने लिखाया वकील साहब ने लिखा है। शपथ पत्र में चार या पांच पेज लिखाए थे। यह कहना सही है कि राणसिंह का खेत हमारे खेत का आथमणा है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन पर वक्त सेटलमेंट से राणसिंह का कब्जा हो हमे पैमाईश करने पर राणसिंह के द्वारा जमीन दबी होने के कारण नेखमबंदी कर यह झूठा दावा पेश किया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

14. वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण के साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण के साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

15. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 12.06.2022 में दर्शायी बरंग भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

16. प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौरान—ए—बहस वादपत्र को वादीगण साबित करने में असफल होने के कारण खारिज फरमाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। साथ ही कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 80 के पड़ोस में प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी पर वक्त जागीरकाल से निर्बाध रूप से कब्जा चल रहा है। इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त दावा म्याद बाहर पेश किया होने एवं प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर शांतिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद काबिल—ए—खारिज है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने प्रतिदावा में किये गये अभिकथन कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट—ए में प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का वक्त भू—प्रबंध से निर्बाध एवं शांतिपूर्वक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 अतिक्रमी नहीं होकर उक्त रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी में वादीगण को किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

17. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 द्वारा जवाब दावा के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के खसरा संख्या 319 के पड़ोस में प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 की आराजी अवस्थित है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 का वक्त सेटलमेंट से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 की उक्त आराजी के चारों ओर वर्षों पुरानी माठें बनी हुई हैं। वादीगण द्वारा अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाई हो तो इसका ज्ञान एवं सूचना प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 को नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 317 में कृषि कनेक्शन हेतु ग्रीन हाउस श्रेणी के लिये आवेदन किया। उसी कृषि विद्युत कनेक्शन को रूकवाने के उद्देश्य से वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद सारहीन एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया होने से काबिल—ए—खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

18. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पाँच तनकीयात कायम किये गये। प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण में प्रथम तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध घोषित करवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष से संबंधित है।

19. प्रकरण की प्रथम तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रथम तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> **183. Ejectment of certain trespasser—**
>
> *(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*
>
> *(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या—01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4. 3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या—02 एवं 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णित राजस्व वाद संख्या 153/2020 की पालना में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 मौजा पालियाली की नेखमबंदी करवाई। उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। तहसीलदार गुड़ामालानी के नेखमबंदी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2022 तथा नेखमबंदी मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी खसरा संख्या 80 की नेखमबंदी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रकरण में प्रदर्श संख्या—01 के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी तहसील नोखड़ा तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा नेखमबंदी की जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 मौजा पालियाली की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त नेखमबंदी दिनांक 12.06.2022 के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को नेखमबंदी दिनांक 12.06.2022 स्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण सेटलमेंट के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज—काश्त हैं। उक्त प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी से इत्तर या अधिक रकबे पर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 मौजा पालियाली के आंशिक भाग पर काबिज काश्त हैं।

10. प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का सेटलमेंट से कब्जा होने के कारण वादी का वाद म्याद बाहर है। प्रकरण में वादी का दावा प्रदर्श संख्या—04 ता 07 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2022 के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से साबित होता है। साथ ही वादी को प्रदर्श संख्या—04 ता 07 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2022 के समय से अतिक्रमण की जानकारी होने से प्रकरण म्याद के अंतर्गत होना स्पष्ट है। वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 मौजा पालियाली के आंशिक भाग पर सेटलमेंट के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रकरण में प्रदर्श संख्या—01, 02 एवं 03 से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 317 में कृषि कनेक्शन हेतु ग्रीन हाउस श्रेणी के लिये आवेदन किया। उसी कृषि विद्युत कनेक्शन को रूकवाने के उद्देश्य से वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र पेश किया गया है। प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 पर प्रतिवादी संख्या 14 ता 26 के कब्जे को साबित करने हेतु परिशिष्ट—बी एवं साक्ष्य गवाह प्रस्तुत किये हैं। परंतु इस संबंध में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 पर प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 के कब्जे के संबंध में कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट या नेखमबंदी पालना प्रस्तुत नहीं की गई।

12. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जे के संबंध में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में जवाब दावा के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रकरण में केवल पी0डब्ल्यू0—01, पी0डब्ल्यू0—2, पी0डब्ल्यू0—3 एवं पी0डब्ल्यू0—4 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली पर प्रतिवादीगण का आंशिक अवैध कब्जा करार देने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली पर प्रतिवादीगण के कब्जे को अवैध घोषित करने से पूर्व वादीगण की आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली का सीमाज्ञान करवाना अनिवार्य शर्त है।

13. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में जवाब दावा के अतिरिक्त कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर सेटलमेंट के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः—

> ***(44) "Trespasser"*** *shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

20. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में जवाब दावा के अतिरिक्त कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर सेटलमेंट के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम तनकी वादीगण के पक्ष में खसरा संख्या 80 मौजा पालियाली पर मौका फर्द दिनांक 12.06.2022 में दर्शाये बरंग भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 को अतिक्रमी मानते हुए स्वीकार की जाती है।

21. साथ ही वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जे के संबंध में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में जवाब दावा के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रकरण में केवल पी0डब्ल्यू0—01, पी0डब्ल्यू0—2, पी0डब्ल्यू0—3 एवं पी0डब्ल्यू0—4 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली पर प्रतिवादीगण का आंशिक अवैध कब्जा करार देने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली पर प्रतिवादीगण के कब्जे को अवैध घोषित करने से पूर्व वादीगण की आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली का सीमाज्ञान करवाना अनिवार्य शर्त है। अतः प्रकरण में प्रथम तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार प्रथम तनकी वादीगण के पक्ष में खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली का सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् यदि प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 319 मौजा पालियाली में प्रदर्शित होता है, तो उक्त कब्जे को अवैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 26 को अतिक्रमी मानने की शर्त के साथ स्वीकार की जाती है।

22. प्रकरण में द्वितीय तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय तनकी को सिद्ध करने का भार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

14. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

15. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

16. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

		उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

17. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0, 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

18. प्रकरण में तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तनकी वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के वक्त सेटलमेंट के समय से उक्त आराजी पर काबिज—काश्त होने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर प्रतिवादी का कोई अतिक्रमण नहीं होने के कारण वादी का दावा खारिज करने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी का है। प्रकरण में प्रथम व द्वितीय तनकी के वादी के पक्ष में साबित होने से तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तनकी पर पृथक से कोई विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। क्योंकि तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तनकी मात्र प्रथम व द्वितीय तनकी का खण्डन मात्र है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। यहां विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकार प्रतिवादीगण तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 12.06.2022 में बरंग लाल रंग से अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के सीमाज्ञान के पश्चात् यदि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 335 दर्ज तिथिः—07.10.2022

1. हंसाराम पुत्र घमण्डसिंह
2. आसूसिंह पुत्र मूलसिंह
3. काना पुत्र घमण्डसिंह
4. घेवरसिंह पुत्र मूलसिंह
5. जगदीशसिंह पुत्र घमण्डसिंह
6. दीपसिंह पुत्र मूलसिंह
7. भैरसिंह पुत्र मूलसिंह
8. भंवरा पुत्र घमण्डसिंह
9. मसरा पुत्र घमण्डसिंह
10. मानसिंह पुत्र खीमसिंह नाबालिग की संरक्षक माता चूनीदेवी पत्नी खीमसिंह
11. वीरचंद उर्फ वीरसिंह पुत्र मूलसिंह
12. सांवलसिंह पुत्र खीमसिंह

    जाति रावणा राजपूत निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. राणसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी डांगरिया
2. धर्माराम पुत्र हड़मता
3. प्रहलादराम पुत्र हड़मताराम जाति कुम्हार निवासी पालियाली
4. आईदानराम पुत्र कालूराम
5. लछुराम पुत्र कालूराम
6. जोगाराम पुत्र नरींगाराम
7. बालका पुत्र नरींगाराम
8. हरचंद पुत्र नरींगाराम
9. सरदारा पुत्र नरींगाराम
10. समदों पत्नी नरींगाराम

    जाति राईका निवासी पालियाली
11. नवलाराम पुत्र पाबूराम जाति जाट निवासी पालियाली
12. दीपाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी डांगरिया
13. काकूदेवी पत्नी चमनाराम
14. खीमाराम पुत्र हीराराम फौत के कायम मुकाम

    14 / 1 पूनमाराम पुत्र खीमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

14 / 2 भावाराम पुत्र खीमाराम
14 / 3 ओखीदेवी पत्नी खीमाराम
15. गमनीदेवी पत्नी हेमाराम
16. गोमाराम पुत्र हेमाराम
17. चिमनाराम पुत्र हीराराम
18. दीपाराम पुत्र हेमाराम
19. पना पुत्र नरींगाराम
20. पनाराम पुत्र हीराराम
21. मदनलाल पुत्र चमनाराम
22. मफताराम पुत्र हेमाराम
23. राणछोड़ाराम पुत्र हीराराम
24. रूपाराम पुत्र हीराराम
25. वरजोंगाराम पुत्र नरींगाराम
26. वीरमाराम पुत्र चमनाराम
जाति कलबी निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादी
27. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी
28. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना
29. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री रामजीवन विश्नोई
श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 80/4.3868 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 12.06.2022 में बरंग लाल रंग से अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319/6.8635 है0 मौजा पालियाली तहसील गुड़ामालानी के सीमाज्ञान के पश्चात् यदि वादीगण की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:01 IST
Reason: SelfAttested